महत्त्वपूर्ण

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

. सं0–1 / पी0सी0आर0(विविध)–09–34 / 2013– 110

प्रेषक,

रामाशीष पासवान, भा0प्र0से0,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक– 12.01.2015

विषयः– **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम–2014 के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परामर्शी (SCD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली ने पत्र संख्या–11012 / 12 / 2008–पी0सी0आर0 (डेस्क) दिनांक– 05 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रसंगाधीन संशोधित नियम–2014 की प्रति उपलब्ध करायी है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित संशोधन किये गये है :–

1– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम–17 के उपनियम (2क) का लोप किया जाएगा।

3– उक्त नियमों में, नियम–17क में –

(क) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थातः–" (2) उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति में उपखण्ड से राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, पुलिस उप–अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, अनुसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सबंधित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से सहयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न वर्गो से दो से अनधिक सदस्य होंगे।"

(ख) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थातः–

"(3) उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति के अध्यक्ष और सचिव कमशः उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) और ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) होंगे।"

(ग) उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(4) उपखंड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।"

वर्णित स्थिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम–2014 की प्रतिलिपि भेजते हुए अनुरोध है कि संशोधित नियम के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(रामाशीष पासवान)
निदेशक।

ज्ञापांक– 1 / पी0सी0आर0(विविध)–09–34 / 2013– 110 पटना, दिनांक– 12.01.2015

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सभी उपविकास आयुक्त / सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी पुलिस उप–अधीक्षक / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/1/15

निदेशक।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)–09–34 / 2013– 110 पटना, दिनांक– 12.01.2015

प्रतिलिपि –प्रधान सचिव, गृह विभाग / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव सभी विभाग / पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/1/15

निदेशक।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)–09–34 / 2013– 110 पटना, दिनांक– 12.01.2015

प्रतिलिपि –संयुक्त सचिव,समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली / संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनु0जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली / संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनु0जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली / निदेशक, राष्ट्रीय अनु0जनजाति आयोग, बी0–189, श्री कृष्णापुरी,पटना–1 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/1/15

निदेशक।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)–09–34 / 2013– 110 पटना, दिनांक– 12.01.2015

प्रतिलिपि –सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना / सचिव, महादलित आयोग, बिहार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/1/15

निदेशक।

sanjay k

(73)

Most Immediate

No. 11012/2/2008-PCR (Desk)
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice and Empowerment
***

New Delhi, dated: 05 -12-2014

To,

The Principal Secretary,
SC/ST Development Department,
All State Governments/UT Administrations (except Jammu & Kashmir)

Subject:- Vigilance and Monitoring Committees under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes(Prevention of Atrocities){PoA}Rules, 1995....amendments in Rule 17 thereof.....regarding.

***

I am directed to refer to the subject noted above and to say that Rule 17 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, has been further amended (copy enclosed) and notified in the Gazette of India, Extraordinary, dated 05.11.2014. It provides for (i) inclusion of members of State Legislative Assembly and State Legislative Council from the Sub-Division, as members of the Sub Division Level Vigilance and Monitoring Committee, (ii) dispensing with requirement of nomination of three social workers by the Central Government, as members of the District and Sub-Division Level Vigilance and Monitoring Committees.

2. It is requested that necessary action may please be accordingly taken.

Yours faithfully,

Encl: As above

(V.R. Malhotra)
Consultant (SCD)
Tele: 23071374

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2014/कार्तिक 14, 1936

No. 568] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2014/KARTIKA 14, 1936

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 774(अ).—केंद्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 17 के उप-नियम (2क) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के, नियम 17क में,-

(क) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--"(2) उप खंडस्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति में उप-खंड से राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद् के सदस्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, पुलिस उप-अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से सहयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न प्रवर्गों से दो से अनधिक सदस्य होंगे।";

(ख) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) उप खंड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव क्रमश: उपखंड मजिस्ट्रेट और ब्लॉक विकास अधिकारी होंगे ।";

(ग) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4) उपखंड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी" ।

[फा. सं. 11012/2/2008/पीसीआर(डेस्क)]

संजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूलनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i)में अधिसूचना संख्यांक मा.का.नि. 316(अ) तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना मा.का.नि. 416(अ), तारीख 23 जून, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2014

G.S.R. 774(E).---In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:-

1. (1)These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 17, sub-rule (2A) shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 17A,--

(a) for sub-rule(2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (2) The sub-division level vigilance and monitoring committee shall consist of members of State Legislative Assembly and State Legislative Council from the sub-division, elected members of Panchayati Raj Institutions belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, Deputy Superintendent of Police, Tehsildar, Block Development Officer, not more than two non -official members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and not more than two members from the categories other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes having association with non-Government organisations.";

(b) for sub-rule(3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The Sub-Divisional Magistrate shall be the Chairperson and the Block Development Officer, the Member Secretary, respectively of the sub-division level vigilance and monitoring committee.";

(c) after sub-rule(3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The sub-division level vigilance and monitoring committee shall meet at least once in three months".

[F. No. 11012/2/2008-PCR (Desk)]

SANJEEV KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section(i) *vide* notification number G.S.R. 316(E), dated the 31st March, 1995 and lastly amended vide notification G.S.R. No. 416(E), dated the 23rd June, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054